दबंग जनप्रतिनिधियों के आगे दम तोड़ता नरेगा (NERGA)

सरकार के तमाम दावों के बावजूद कानपुर नगर बिल्हौर ब्लाक के बराण्डा ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून दबंग प्रधान पति के आगे दम तोड़ता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ सरकार पारदर्शिता और मजदूरों के हक देने की बात कह रही है वही दूसरी तरफ बराण्डा ग्राम पंचायत में मजदूरों के शोषण एंव नरेगा में भ्रष्टाचार का नया अध्याय लिखा जा रहा है । बराण्डा ग्राम पंचायत के करीब ४० मजदूरों को जनवरी २००९ में करीब २२ दिन नरेगा के तहत अपने खेत के किनारे नाला खुदवाने का कार्य वहां के ग्राम प्रधान श्रीमति रेनू कटियार ने करवाया, लेकिन अभी तक उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ हैं। मजदूरों ने जब भी प्रधान पति अशोक कटियार से अपनी मजदूरी की बात की उन्होंने टाल दिया । चूकिं अशोक कटियार उस क्षेत्र के एक दबंग व्यक्ति के रूप में जाने जाते है, इस लिए मजदूरों ने डर से इस बात की कहीं शिकायत नहीं की । जुलाई महीने में RTI कार्यकर्ता शंकर सिंह के सम्पर्क में ये मजदूर आये और उन्होंने नरेगा के तहत हुए काम की मजदूरी भुगतान न होने की बात बताई । शंकर सिंह ने मजदूरों की तरफ से एक शिकायती पत्र बिल्हौर ब्लाक के BDO लाला जी सिंह को दिया । मजदूरों को लेकर शंकर सिंह ने बराण्डा ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत सचिव महेन्द्र कुमार गौतम से मुलाकात की उन्होनें बताया कि उनके रिकार्ड में इस काम का कोई जिक्र नही है, और ये काम उनसे पूर्व रहे सचिव के कार्यकाल का है । ये काम हो सकता है प्रधान ने अपना व्यक्तिगत करवाया हो, इसलिए इस संदर्भ में हम कोई मदद नही कर सकते । बराण्डा ग्राम पंचायात के मजदूरों ने बताया कि आज तक हम लोगों ने जाबकार्ड भी नहीं देखा है, सभी जाबकार्ड प्रधान के घर पर रहता है । कार्य स्थल पर मस्टर रोल नहीं रखा जाता है । प्रधान उन्ही का जाबकार्ड बनवाते है जो उनके साथ है । काम मांगने पर कहते है कि पैसा नहीं है जब आयेगा तब काम करायेंगे। कुछ मजदूरों ने बताया कि उनसे प्रधान ने अपने भठ्ठे पर काम करवाया मगर भुगतान नरेगा के तहत हुआ । इन बातो कि शिकायत डर के मारे किसी से नहीं कर पाते है । मजदूरों द्वारा की गई शिकायत की छायाप्रति संल्गन है ।

ग्राम पंचायतः- बराण्डा, विकास खण्डः- बिल्हौर, जिलाः- कानपुर नगर, ग्राम प्रधानः- श्रीमति रेनू कटियार (प्रधान पति अशोक कटियार), ग्राम पंचायत सचिवः- महेन्द्र कुमार गौतम मो०: 9889406760, BDO बिल्हौरः- लाल सिंह मो०: 9793039660

Report By, Mahesh & Sahankar Singh

“Asha Pariwar”, Kanpur

“Apna Ghar”

B-135/8, Pradhane Gate, Nankari ,IIT, Kanpur-16 India

Ph: +91-512-2770589,Cell No. +91-9838546900

http://balsajag.blogspot.com/,http://rtiup.blogspot.com,http://alivephoto.blogspot.com,www.ashaparivar.org,

दिनांक 02/08/09

सेवा में,

श्रीमान प्रमुख सचिव
ग्राम विकास विभाग
उ०प्र० शासन लखनऊ

विषय :- नरेगा के तहत कराये जाने वाले विकास कार्य ग्राम पुराना बरउडा पोस्ट- बरउडा ब्लाक बिल्हौर जनपद कानपुर नगर में हो रही अनियमितता एवं रोजगार गांरटी कानून (नरेगा) के पालन न किये जाने के सम्बंध में-

महोदय,

ग्राम- पुराना बरउडा ~~[illegible]~~ ब्लाक बिल्हौर जनपद कानपुर नगर में निम्न लिखित अनियमितायें व्याप्त हैं जो क्रमवार उल्लिखित हैं.

① ग्राम पंचायत बरउडा ब्लाक बिल्हौर जनपद कानपुर नगर के बेरोजगार लोगो को जाब कार्ड नही प्राप्त हुए है।

② ग्राम पंचायत बरउडा के बेरोजगार लोग जिन्होने कार्य किया है उनका भुगतान नही किया जा रहा है।

③ ग्राम पंचायत बरउडा मे नरेगा के तहत महिलाओ के जाब कार्ड नही बनाये जा रहे हैं।

④ कार्य स्थल पर छाये, पानी, व प्राथमिक स्वास्थ की व्यवस्था नही है तथा कार्यस्थल पर न तो मास्टर रोल रखा जाता है और न हस्ताक्षर कराये जाते हैं

⑤ ग्राम पंचायत बरउडा के बेरोजगार लोगो को नरेगा के तहत खाते खुलवाने के लिए ग्रामप्रधान व सिक्रेट्री द्वारा 100/- रुपये प्रति व्यक्ति मांग की जाती है.

⑥ रोजगार गांरटी कानून (नरेगा) के तहत 100 दिन काम पाने का अधिकार है ग्राम प्रधान व सिक्रेट्री के पास काम मांगने पर काम न होने का बहाना किया जाता है

इसी सदर्भ में ग्रामपंचायत बरउडा मे कटियार ब्रिक फील्ड से मदन पुर रोड तक नाले की खुदाई कराई गई जो निम्न वत है
दिनांक 22.12.08 से 06.1.2009 तक कार्य (मजदूरो की संख्या 24)
दिनांक 30.11.08 से 06.1.2009 तक कार्य (मजदूरो की संख्या 01)
दिनांक 18.12.08 से 09.1.2009 तक कार्य (मजदूरो की संख्या 04)

कुल मजदूर - 29

अतः महोदय से प्रार्थना है कि समस्त मजदूरो का भुगतान कराया जाये तथा ग्राम पंचायत बरउडा के ग्राम प्रधान व सेक्रेट्री द्वारा करती जा रही अनियमितताओ की जांच करा कर दण्डित किया जाये। समस्त मजदूरो की हस्ताक्षरित सूची साथ मे संलग्न है -

प्रतिलिपि :-
1- आयुक्त ग्राम विकास विभाग उ०प्र० शासन लखनऊ
2- उच्चतम न्यायालय के आयुक्तो की सलाहकार -
3- जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर

भवदीय
मो० लाल/शंकर सिंह
ग्रा० बरउडा पो० बरउडा
ब्लाक बिल्हौर

सेवा में, दिनांक- 02/8/2009

आयुक्त
ग्राम विकास विभाग
उ० प्र० शासन, लखनऊ

विषय:- नरेगा के तहत कराये जाने वाले विकास कार्य ग्राम पुराना बरउडा पोस्ट बरउडा ब्लाक बिल्हौर जनपद कानपुर नगर में हो रही अनियमितायें एवं रोजगार गारंटी कानून (नरेगा) के पालन न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय :- ग्राम पुराना बरउडा ब्लाक बिल्हौर जनपद कानपुर नगर में निम्न लिखित अनियमितायें व्याप्त हैं जो कुछ इस प्रकार उल्लिखित हैं।

1. ग्राम पंचायत बरउडा ब्लाक बरउडा जनपद कानपुर नगर के बेरोजगार लोगों के जाब कार्ड नहीं बने हैं।
2. ग्राम पंचायत बरउडा के बेरोजगार लोग जिन्होंने कार्य किया है। उसका भुगतान नहीं किया गया है।
3. ग्राम पंचायत बरउडा में नरेगा के तहत महिलाओं के जाब कार्ड नहीं बनाये जा रहे हैं।
4. कार्य स्थल पर न तो छाया, पानी व प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं तथा कार्य स्थल पर न तो मास्टर रोल रखा जाता है और न ही हस्ताक्षर कराये जाते हैं।
5. ग्राम पंचायत बरउडा के बेरोजगार लोगों को नरेगा के तहत खाते खुलवाने के लिये ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी द्वारा 100 रु० प्रति व्यक्ति माँग की जाती है।
6. रोजगार गारन्टी कानून (नरेगा) के तहत 100 दिन काम पाने का अधिकार है। ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी के पास काम माँगने पर काम न होने का बहाना किया जाता है।

अतः इसी संदर्भ में ग्राम पंचायत बरउडा में कटियार लिंक रोड से मकनपुर रोड तक नालों की खुदाई कराई गई जो निम्नवत् है।

दिनांक 22.12.08 से 06-1-09 तक कार्य मजदूरों की संख्या - 24
दिनांक 30.11.08 से 06-1-09 तक कार्य मजदूरों की संख्या - 01
दिनांक 13.12.08 से 09-1-09 तक कार्य मजदूरों की संख्या - 04
29

अतः महोदय से प्रार्थना है कि समस्त मजदूरों का भुगतान कराया जाय तथा ग्राम पंचायत बरउडा के ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जाँच करा कर दण्डित किया जाये।
समस्त मजदूरों की हस्ताक्षरित सूची साथ में संलग्न है।

प्रतिलिपि:-
1. प्रमुख सचिव ग्राम विकास विभाग उ०प्र० शासन लखनऊ
2. उच्चतम न्यायालय के आयुक्तों की सलाहकार लखनऊ ... भवदीय
3. जिलाधिकारी ...

दिनांक- 02/08/09

सेवा में

श्री मती अरुंधती धुरू
उच्चतम न्यायालय के आयुक्तों की सलाहकार
लखनऊ उ०प्र०

विषय:- नरेगा के तहत कराये जाने वाले विकास कार्य ग्राम पुराना बरण्डा वोर्ड- बरण्डा ब्लाक बिल्हौर जनपद कानपुर नगर में हो रही अनियमितताये एवं रोजगार गांरटी कानून (नरेगा) के पालन न किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,
ग्राम पुराना बरण्डा ब्लाक बिल्हौर जनपद कानपुर नगर में निम्न लिखित अनियमितताये व्याप्त है जो क्रमवार उल्लिखित है।

(1) ग्राम पंचायत बरण्डा ब्लाक बरण्डा जनपद कानपुर नगर के बेरोजगार लोगो को जाब कार्ड नही प्राप्त हुए है।

(2) ग्राम पंचायत बरण्डा के बेरोजगार लोग जिन्होने कार्य किया है। उसका भुगतान नही किया जा रहा है।

(3) ग्राम पंचायत बरण्डा मे नरेगा के तहत महिलाओ के जाब कार्ड नही बनाये जा रहे है।

(4) कार्य स्थल पर छाये, पानी व प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यवस्था नही है तथा कार्य स्थल पर न तो मास्टर रोल रखा जाता है और न ही हस्ताक्षर कराये जाते है।

(5) ग्राम पंचायत बरण्डा के बेरोजगार लोगो को नरेगा के तहत खाते खुलवाने के लिए ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी द्वारा 100/- रु० प्रति व्यक्ति मांग की जाती है।

(6) रोजगार गारण्टी कानून (नरेगा) के तहत 100 दिन काम पाने का अधिकार है ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी के द्वारा काम मांगने पर काम न होने का बहाना किया जाता है।

इसी संदर्भ में ग्राम पंचायत बरण्डा मे अटियार लिंक रोड से मकनपुर रोड तक नाले की खुदाई कराई गई जो निम्नवत है।

दिनांक 22-12-8 से 06-1-09 तक कार्य मजदूरो की संख्या 24
दिनांक 30-11-08 से 06-1-09 तक कार्य मजदूरो की संख्या 01
दिनांक 18-12-08 से 09-1-09 तक कार्य मजदूरो की संख्या 04
29

अतः महोदय से प्रार्थना है कि समस्त मजदूरो का भुगतान कराया जाये तथा ग्राम पंचायत बरण्डा के ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी द्वारा की जा रही अनियमितताओ की जाँच करा कर दण्डित किया जाये।
समस्त मजदूरो की हस्ताक्षरित सूची साथ मे संलग्न है।

प्रतिलिपि:
1- आयुक्त ग्राम विकास विभाग उ०प्र० शासन लखनऊ
2- प्रमुख सचिव ग्राम विकास विभाग उ०प्र० शासन लखनऊ
3- जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर

भवदीय
मेवा लाल / शंकर सिंह
ग्राम- बरण्डा पो० बरण्डा
ब्लाक बिल्हौर जि० कानपुर नगर
9956576907

दिनांक 02/01/09

सेवा में:
श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
जिला कानपुर नगर

विषय:- नरेगा के तहत कराये जाने वाले विकास कार्य ग्राम पुराना बरण्डा पोस्ट बरण्डा ब्लाक बिल्हौर जनपद कानपुर नगर में हो रही अनियमितता एवं रोजगार गारंटी कानून (नरेगा) के पालन न किये जाने के सम्बन्ध में—

महोदय,
ग्राम पुराना बरण्डा, ब्लाक बिल्हौर जनपद कानपुर नगर में निम्न लिखित अनियमितायें व्याप्त हैं जो क्रमवार अंकित हैं।

① ग्राम पंचायत बरण्डा ब्लाक बिल्हौर जनपद कानपुर नगर के बेरोजगार लोगों को जाब कार्ड नहीं प्राप्त हुए हैं।

② ग्राम पंचायत बरण्डा के बेरोजगार लोग जिन्होंने कार्य किया है उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है।

③ ग्राम पंचायत बरण्डा में नरेगा के तहत महिलाओं के जाब कार्ड नहीं बनाये जा रहे हैं।

④ कार्य स्थल पर छाये, पानी व प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है तथा कार्य स्थल पर न तो मास्टर रोल रखा जाता है और न हस्ताक्षर कराये जाते हैं।

⑤ ग्राम पंचायत बरण्डा के बेरोजगार लोगों को नरेगा के तहत कार्ड बनवाने के लिए ग्राम प्रधान व सेक्रेट्री द्वारा 100/00 प्रति व्यक्ति मांग की जाती है।

⑥ रोजगार गारंटी कानून (नरेगा) के तहत 100 दिन काम पाने का अधिकार है ग्राम प्रधान व सेक्रेट्री के पास काम मांगने पर काम न होने का बहाना किया जाता है।

इसी सदंर्भ में ग्राम पंचायत बरण्डा में कटियार फिल्ड/खेत से मकनपुर रोड तक नाले की खुदाई कराई गई जो निम्नवत है।

दिनांक 22.12.08 से 06.1.09 तक कार्य (मजदूरों की संख्या 24)
दिनांक 30.11.08 से 06.1.09 तक कार्य (मजदूरों की संख्या 01)
दिनांक 18.12.08 से 09.1.09 तक कार्य (मजदूरों की संख्या 04)

कुल मजदूर — 29

अतः महोदय से प्रार्थना है कि समस्त मजदूरों का भुगतान कराया जाये तथा ग्राम पंचायत बरण्डा के ग्राम प्रधान व सेक्रेट्री द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच करा कर दण्डित किया जाये। समस्त मजदूरों की हस्ताक्षरित सूची साथ में संलग्न है।

प्रतिलिपि:-
① उच्चतम न्यायालय के आयुक्तों की सलाहकार लखनऊ
② प्रमुख सचिव ग्राम विकास विभाग उ०प्र० शासन लखनऊ
③ आयुक्त ग्रा० विकास विभाग उ०प्र० शासन लखनऊ

भवदीय
सेवा लाल / शंकर सिंह
ग्रा० बरण्डा पो० बरण्डा
ब्लाक बिल्हौर जि० कानपुर नगर
9956576907

	पिता / पति	उम्र	हस्ताक्षर
(30.11.08 से 6.1.09 तक कार्य किया गया)			
रूपकान्त	श्री ललिताराम	23 वर्ष	
(18.12.08 से 9.1.09 तक कार्य किया गया)			
② महेश	" मोहन लाल	25 वर्ष	महेश चन्द
③ राम ~~[illegible]~~ पाल	माता दीन	38 वर्ष	रामपाल
④ सतीश	~~गोकुल~~ मातादीन	28 वर्ष	सतीश
⑤ शशीकांत	गोकुल प्रसाद	27 वर्ष	शशिकान्त
(22.12.08 से 6.1.09 तक कार्य किया गया)			
⑥ अमरनाथ	भगवानदीन	24 वर्ष	अमरनाथ
⑦ संजय कुमार	गुरुप्रसाद	23 वर्ष	संजय कुमार
⑧ रामकिशोर	रामचन्द्र	22 वर्ष	राम किशोर
⑨ नीरज	सियाराम	22 वर्ष	नीरज कुमार
⑩ रामसेवक	रामतीरथ	21 वर्ष	राम सेवक
⑪ ब्रजकिशोर	रामचन्द्र	25 वर्ष	ब्रज किशोर
⑫ रमेश चन्द्र	गोवर्धन	45 वर्ष	रमेश चन्द्र
⑬ सियाराम	भैरूलाल	42 वर्ष	सियाराम
[illegible]	[illegible] लाल	45 वर्ष	[illegible]

		पिता / पति	उम्र	हस्ताक्षर
	मोर कुमार	मोहनलाल	३५ वर्ष	
16	कुलदीप कुमार	मेवाराम	२५ वर्ष	कुलदीप कुमार
17	संदीप कुमार	" मेवाराम	२० वर्ष	संदीप कुमार
18	दिनेश कुमार	भगवानदीन	२० वर्ष	दिनेश कुमार
19	अंकित कुमार	रामप्रकाश	२० वर्ष	
20	रामलखन	ऊधनलाल	२५ वर्ष	
21	रामशंकर	चन्दीलाल	२८ वर्ष	रामशंकर
22	प्रदीप कुमार	जगन्नाथ	२५ वर्ष	प्रदीप कुमार
23	सत्यम	मनोजकुमार	२१ वर्ष	
24	अरविन्द	गयाप्रसाद	२५ वर्ष	अरविन्द
25	कुलदीप कुमार	जगन्नाथ	२५ वर्ष	कुलदीप कुमार
26	विपिन कुमार	विमल	२२ वर्ष	विपिन कुमार
				मलय कुमार